न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	30.1.23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्यों में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली हेतु कार्यवाही हेतु दिनांक 16.02.23 को पेश हो।	
17.02.2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में श्री हिमांशु शर्मा एड0 ने अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब दरख्वास्त पेश नहीं कर सीधे ही प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर अंकित किया। अतः वकील वादी की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक/प्रार्थी श्री देवीलाल जाट पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी नांगल कंला तहसील चौमू जिला जयपुर को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रतिवादी संख्या 25 संयोजित किया जाता है। वकील वादी संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश करें। वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक वादपत्र एंव पेश होने जवाब दावा पत्रावली दिनांक 09.03.2023 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.03.14 11:42:43 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)	